भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) में भ्रष्टाचार और कदाचार

4549. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में व्यापक भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण माल की बुकिंग के समय सुरक्षा राशि जमा कराने से विमुक्ति तथा ऋण सुविधायें केवल बड़े उद्योगों को ही उपलब्ध कराई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) लघु उद्योगों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(घ) क्या लघु उद्योगों को अब तक उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रखा गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) दिनांक 16-1-92 से लोहा और इस्पात के वितरण तथा मूल्य पर से नियंत्रण हटा लेने के बाद आर्थिक उदारीकरण तथा सीमाशुल्क में कटौती से घरेलू स्रोतों और आयात दोनों दृष्टिकोण से देश में इस्पात की उपलब्धता सुगम हुई है । बाजार स्थिति तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार में इस्पात के उपभोक्ताओं को उपलब्ध वाणिज्यिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये 'सेल' ने भी वर्तमान मार्ग दर्शनों के अनुसार उधार मात्रा से संबद्ध छूट आदि जैसी कतिपय वाणिज्यिक सुविधायें देनी शुरू की हैं ।

(ग) से (घ) 'सेल' के सभी उपभोक्ताओं को ऐसी वाणिज्यिक सुविधायें दी जाती हैं । इनमें ऐसे लघु उद्योग भी शामिल हैं जिनका रिकार्ड अच्छा है तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है।

इस्पात के मूल्यों में परिवर्तन

4560. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के मूल्यों में प्रत्येक माह परिवर्तन होने के कारण इस्पात पर आधारित लघु उद्योगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस्पात का माह-वार मूल्य कितना था ;

(ग) मूल परिवर्तन के लिये कौन से कारक उत्तरदायी थे; और

(घ) आगामी छः माहों के दौरान मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहन संतोष देव) : (क) इस्पात के मूल्य समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की प्रतिनिधि इस्पात की मदों के स्टाक यार्ड मूल्यों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 63]

इस्पात के मूल्य में वृद्धियों का प्रभाव लघु उद्योग निगमों सहित उपभोक्ता उद्योगों पर भिन्न-भिन्न उद्योगों और भिन्न-भिन्न उत्पादों पर इस्पात के मूल्य पर निर्भर करते हुये उत्पाद की अंतिम लागत के रुप में घटता-बढ़ता रहता है ।

(ग) एकीकृत इस्पात संयंत्र समय-समय पर कोयले के मूल्य में संशोधन, रुपये के मूल्यों में समायोजन और विनियम दर में परिवर्तन, बिजली तथा पानी की

दर में वृद्धि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों और रेल भाड़े में वृद्धि के कारणों को भी शामिल करते हुये विभिन्न कारकों के कारण आदान लागतों में वृद्धि को निष्क्रिय करने के लिये अपने मूल्य बढ़ाते हैं।

(घ) 16-1-1992 से लोहे तथा इस्पात के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिये जाने के पश्चात सरकार का इस्पात के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणाम-स्वरूप स्वदेशी इस्पात उत्पादक अपने मूल्यों को बढ़ने नहीं देंगे। इन उपायों में कुछ निम्नानुसार हैं :

(i) लोहे तथा इस्पात के आयात के लिये अब मुक्त रूप से अनुमति दे दी गयी है और लोहे तथा इस्पात की अधिकांश मदों पर से सीमा-शुल्क को कम कर दिये जाने से इन मदों की उतराई लागत भी घट गयी है।

(ii) लोहे तथा इस्पात उद्योग को लाइ-सेंस मुक्त कर दिये जाने तथा लोहे और इस्पात के मूल्यन और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिये जाने से निजी क्षेत्र जो उद्योग में भारी प्रतिस्पर्धा करने में अग्रगण्य हैं, में नई क्षमताओं के सृजन में प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है।

कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कम्पनी

4551. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कम्पनी द्वारा जुलाई, 1992 में आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड में 45 करोड़ रुपये की राशि निवेश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि का निवेश करते समय इस राशि के वापस भुगतान के लिये क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया था;

(ग) क्या उक्त फाइनेंशियल कम्पनी ने इस कार्यक्रम के अनुसार राशि वापस की थी ;

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक कुल कितनी राशि वापस की गयी है ;

(ङ) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख कम्पनी को इसके कारण घाटा होने की संभावना है ;

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या एक सरकारी कम्पनी के लिये राशि को ब्याज कमाने के लिये निवेश करना कानूनी दृष्टि से उचित है तथा यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने एक अनुसूचित बैंक आंध्रा बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसीज लिमिटेड (ए०बी०एफ०एस०एल०) के पास 90/91 दिन की अवधि के लिये अन्तर्निगमित जमा के रूप में 55 करोड़ रुपये जुलाई, 1992 में तीन किस्तों में 10 करोड़ रुपये, 15 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये निवेश किया।

(ग) और (घ) पुनर्भुगतान के लिये निर्धारित समय-सूची के अनुसार देय राशि में से मैसर्स ए०बी०एफ०एस०एल० ने केवल एक करोड़ रुपये का भुगतान किया।

(ङ) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मैसर्स ए०बी०एफ०एस०एल० ने कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के बकाया अन्त-र्निगमित जमा के पुनर्भुगतान के लिये अपनी देनदारी की पुष्टि की है। अभिरक्षक के पास शेष मसर्स ए०बी०एफ०एस०एल०